# न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
## धनवाद सं0–01/2015
## CIS NO. MS 102/2018

नसीम अख्तर.....वादी

बनाम

मकसूद आलम.....प्रतिवादी

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **06.03.2025** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से आवेदन दिनांक 10.12.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 06.03.2025 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।<br>**आदेश (ORDER)**<br>प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी मकसूद आलम की ओर से दाखिल बयान तहरीरी में टंकक एवं ड्राफ्टकर्ता के भूल से कुछ शब्द टंकित होना छुट गया है तथा कुछ शब्द गलत टंकित हो गया है जिन्हें न्यायहित में संशोधन करना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से किये जाने वाली प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार से है कि बयान तहरीरी के पेज न0–02 के कंडिका 05 के चार पंक्ति के बाद यानि जिसमें बुनियाद अलो से लेकर अंतिम पंक्ति तक कलमजद कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्न बातें जोड दिया जाय :– (क) कुल 8 कट्ठा 16 धुर एराजी आपसी बंटवारा में शेख नियामत के दो लडकों में बंटा जिसमें शेख मनौवर को 16 धुर मिला तथा शेख फरदे को 8 कट्ठा एराजी हिस्सा में मिला। वादी के दादा शेख नजर अथवा वादी के पिता अब्दुल शमद को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिला। (ख) बयान तहरीरी के कंडिका 6 की पंक्ति 2 यह कहना तय है से अंकित तक कलमजद कर दिया जाय तथा इसके स्थान पर निम्न बातें जोड दिया जाय :– कि यह कहना असत्य है कि शेख मनौवर को विवादी खेसरा न0–175 में कुल रकबा में से हिस्सा 01 कट्ठा मिला वास्त में शेख मनौवर को इस खेसरा में हिस्सा मात्र 16 धुर मिला। इसमें से शेख मनौवर की पुत्री बीबी पयमबर वादी ने वादी को मात्र 5 धुर एराजी खेसरा न0–175 का बक्ख्शीशनामा दिनांक 22.01.1993 को अन्य एराजी के साथ लिखी, यह पांच धुर सही है तथा बीबी पयमबर वादी का खेसरा–175 में अब कोई | |

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 06.03.2025** | अन्य हिस्सा नहीं है। इसमें कोई बांस नहीं था इसी कारण बक्खशीशनामा में बांस की चर्चा नहीं है। इसमें बची एराजी 11 धुर मुदालह के दखल कब्जें में है। (ग) कि पृष्ट सं0–3 बयान तहरीरी के कंडिका 9 में 5 वीं पंक्ति के यह भी से अंतिम तक कलमजद कर दिया जाय तथा इसके स्थान पर निम्न जोड दिया जाय :– कि वादी का कहना गलत है कि इन्होंने खाता 59 खेसरा 175 में से हामीद को ढाई धुर बिक्री किये है सही तथ्य यह है कि वादी ने हामीद को इस एराजी में से मात्र 2 धुर ही जमीन दिनांक 28.10. 1993 को बिक्री किया और उसका चौहद्दी भी गलत दर्ज किया है तथा उक्त दस्तावेज में लिखी गई बातों को सही साबित करने का भार एवं दायित्व वादी पर है। (घ) यह कि बयान तहरीरी के पेज सं0–4 पर कंडिका 12 में पंक्ति 6 में बीबी शहबुन नेशा एवं को के बाद ढाई धुर को कलमजद कर दिया जाय तथा इसके बदले में क्रमशः शेख हामीद एवं 2 धुर जोड दिया जाय तथा पंक्ति 7 में तथा और धुर के बीच ढाई को कलमजद कर 3 जोड दिया जाय। (ड0) कि बयान तहरीरी के अंत में एवं सत्यापन के पहले परिवार का एक वंशावली जोड दिया जाय जिससे वादी एवं प्रतिवादी की रिस्तेमंदी स्पष्ट होगी। (च) कि बयान तहरीरी के कंडिका 16 पेज 6 में बाद एक नया कंडिका 17 जो निम्नलिखित है को जोड दिया जाय :– यह कि शेख फरदे ने खाता 59 खेसरा 175 से प्राप्त हिस्से को 8 कट्ठा जमीन से दिनांक 21.06. 1958 को दस्तावेज सं0–7463 द्वारा शेख अब्दुल गफार को पश्चिमवारी भाग से 4 कट्ठा एवं शेख 4 कट्ठा जमीन दिनांक 01.07.1958 को शे0 आबीद को दस्तावेज सं0–7462 को निबंधित कर बेंच दिया और दखल कब्जा दे दिया, जो हनीफ क्रेताओं के शांतिपूर्ण दखल कब्जें में है। इस खेसरा को 16 धुर जमनी जो शेख मनऔर को प्राप्त थी, जिसमें से शेख मनऔर की पुत्री बीबी पयमबर वादी ने अपने हिस्से की पांच धुर जमीन निबंधित दस्तावेज सं0–9493 दिनांक 28.10. | |

**<u>न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>**

**<u>धनवाद सं0–01/2015</u>**

**CIS NO. MS 102/2018**

नसीम अख्तर.....वादी

बनाम

मकसूद आलम.....प्रतिवादी

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 06.03.2025** | 1993 द्वारा वादी को बक्खशीश कर दखल कब्जा दे दिया। शेष 11 धुर जमीन प्रतिवादी के हिस्से में है जिसका सही चौहद्दी उ0–सुर्यनारायण सिंह, द0–मुदालह एवं शे0 हामिद, पु0–मुदालह का खेसरा 176 तथा पश्चिम शेख आबीद है। उपरोक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें।<br>वादी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 16.06.2023 को दाखिल किया गया तथा दाखिल प्रत्युत्तर में कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन अस्पष्ट, मनगढंत तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। प्रतिवादी के संशोधन आवेदन में किया गया दावा मनगढंत तथा बनावटी है, जो कि परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः संशोधन आवेदन खारिज किया जाय।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत धन वाद वादी ने प्रतिवादी द्वारा वादी के बाँस (Bamboo) को काट कर हटाये जाने पश्चात् हुये हर्जे मो0–3000/– रूपये को दिनांक 27.04.2015 से 9.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मिश्रधन को प्रतिवादी से वादी के पक्ष में न्यायालय प्रकिया द्वारा दिलवाने तथा अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। प्रतिवादी के प्रस्तावित संशोधन के कंडिका (क) में किये गये बयानात कि कुल 8 कट्ठा 16 धुर एराजी आपसी बंटवारे में शेख नियामत के दो लडको में बँटा जिसमें शेख मनौवर को 16 धुर मिला तथा शेख फरदे को 8 कट्ठा हिस्सा में मिला। वादी के दादा शेख नजर अथवा वादी के पिता अब्दुल शमद को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिला। प्रतिवादी की ओर से पूर्व में किये गये पारिवारिक बंटवारें के संबंध में कोई भी कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी ने यह धन वाद मो0–3000/– रूपये की राशि को | |

# न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

## धनवाद सं0–01/2015

## CIS NO. MS 102/2018

नसीम अख्तर.....वादी

बनाम

मकसूद आलम.....प्रतिवादी

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 06.03.2025** | ब्याज सहित न्यायालय के प्रक्रिया द्वारा दिलवाने हेतु लाया है। प्रतिवादी का प्रस्तावित संशोधन स्वत्व वाद से सरोकार होना प्रतीत होता है न कि धन वाद से। प्रतिवादी के द्वारा दाखिल प्रस्तावित संशोधन आवेदन सामान्य प्रकृति का होना प्रतीत नहीं होता है तथा इससे वाद की प्रकृति पर प्रभाव पडना प्रतीत हो रहा है। **अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निहित है कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्याय संगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें जो उभय पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नो के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुँचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।** अतः नियमन :–Syed Hasibuddin Vs. Syed Md. Akram Hussain & Others, AIR (2005) 4, SCC 480 एवं Life insurance corporation of India V. Sanjeev Builders PVT. Ltd and Anr. AIR 2022 SCC online SC 1128. के आलोक में तथा न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 10.12.2021 खारिज किया जाता है।<br>वाद दिनांक 24.03.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>मुंसिफ<br>नरकटियागंज | |